

1. TSC / Swajaldhara
2. Committees & nodal officers
- 3.

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
// आदेश //
भोपाल, दिनांक 01 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-19-92/2003/1/4 : राज्य शासन द्वारा इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2003 द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तत्वाधान में राज्य स्तर पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता शिखर का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत मशिन के संचालन हेतु निम्नानुसार शिखर का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1 | अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन एवं महानिदेशक,
आर.एस.व्ही.पी.प्रशासन अकादमी, भोपाल | अध्यक्ष |
| 2 | प्रमुख सचिव, /सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी विभाग भोपाल, | सदस्य सचिव |
| 3 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, ग्रामीण किसान विभाग | सदस्य |
| 4 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत विभाग | सदस्य |
| 5 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा | सदस्य |
| 6 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग | सदस्य |
| 7 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग | सदस्य |
| 8 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास | सदस्य |
| 9 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग | सदस्य |
| 10 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, प्राथमिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 11 | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना विभाग | सदस्य |
| 12 | सचिव, मुख्य मंत्री एवं मिशन समन्वयक, राजीव गाँधी मिशन | सदस्य |
| 13 | भारत सरकार के प्रतिनिधि, | सदस्य |
| 14 | प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल | सदस्य |
| 15 | परियोजना संचालक, स्वजलधारा एवं सेक्टर रिफार्म | सदस्य |
| 16 | परियोजना संचालक, समग्र स्वच्छता अभियान | सदस्य |
| 17 | ग्रामीण जलप्रदाय एवं स्वच्छता के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ | सदस्य |
| 2/ | शिखर समिति की बैठकें प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार तथा वर्ष में | कम से |
| 04 | बार होगी ! | |
| 3/ | शिखर समिति के गठन संबंधी इस विभाग का पूर्वादेश क्रमांक-एफ-19-195/
1999/1/4, दिनांक 23 अक्टूबर 1999 निरस्त किया जाता है। | |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(सुनीता त्रिपाठी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0कंमाक-एफ-19/2003/34/1,

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त , 2003

- 1- समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण/सदस्य सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर उनकी टीप यू.ओ. 1505 /2003/1/34 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 3- मुख्य सचिव के उप सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 4- संयुक्त संचालक, जन संपर्क (मंत्राजय प्रकोष्ठ)।

हस्ता/-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग